पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

शरम

ग्राम पंचायत – शरम

तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा

जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास - शरम गाँव राजे रजवाड़ों के समय के पहले बसा से बसा है। गाँव की पहाड़ी में मकान बनाने के लिए नींव खोदते हैं तो पुराने अनाज पीसने की चक्की, मिट्टी के बर्तन, इंटों के टुकड़े और खिलोने आदि प्राप्त हुए। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पहले एक नगरी थी उसमें हरिमंगला माताजी का मंदिर था। वह मूर्ति और मंदिर आज भी है। इसी हरिमंगला माताजी के नाम से इस जगह का नाम हरम रखा गया। बोल-चाल की भाषा में लोग "ह" का उच्चरण "स" करते हैं इसलिए धीरे-धीर गाँव का नाम हरम से शरम पड़ गया। एक और मंदिर है जो कालिका माताजी का है।

गांव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में शरम गांव बसा हुआ है जिसका ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में 756 परिवार रहते हैं। गांव में पांच फले है - उपलाफला, मध्य फला, नीचला फला, डामोर फला और कल्याणपुर फला है। गाँव के आदिवासियों में डामोर, भराड़ा, अहारी, आमलिया, फेरा, गमेती, मनात, कटारा, कोटेड, खराड़ी और बरांडा उपजातियाँ हैं। गाँव में राशन की दुकान है। गाँव सभा का गठन और शिलालेख 22 नवम्बर 2017 को हुआ। पेसा कानून की समझ लगभग 40% गाँववासियों को है। गांव की कुल आबादी 3,866 हैं। गांव के कुछ पहाड़ और पहाड़ियों पर गाँव के लोगों का कब्जा है। पहाड़ों में खनन नहीं हो रहा है। गाँव से बाजार की दूरी 40 किलोमीटर है। धार्मिक स्थलों में दो मंदिर है। गांव का पोस्ट ऑफिस गांव से 6 किलोमीटर दूर है वीरपुर में है। बस स्टैंड भी मेवाड़ा में है। गांव का निकटतम पुलिस थाना राम सागड़ा में है जो गांव से 20 किलोमीटर दूर है। कॉलेज के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है जो गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। गांव में दो श्मशान घाट है। गरीबी के कारण लोग बच्चों को पढ़ा पाने में भी असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं।

आवागमन की स्थिति - गांव शरम डूंगरपुर से हिम्मतपुर मार्ग पर 40 किलोमीटर दूर उत्तर में बसा हुआ है। कहीं आने जाने के लिए उन्हें करीब 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर वीरपुर जाना पड़ता है। डूंगरपुर से बस या जीप द्वारा मेवाड़ा जाते हैं और वहां से एक सड़क वीरपुर होते हुए शरम तक जाती है1 बस के अलावा कभी-कभी जीप और टेंपो भी चलते हैं। जीप और टेंपो घंटों इन्तजार के बाद चलते हैं। वो भी पूरा भरने के बाद (ओवेरलोड) चलती है। चार-पांच सवारी की क्षमता वाले वाहन में पन्द्रह सौलह सवारी भेड़ बकरियों की तरह ठूस-ठूस कर भरी जाती है। मेवाड़ा से डूंगरपुर 35 किलोमीटर दूर है। परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। गाँव की मुख्य सड़क से फलों में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में तीन आंगनवाड़ी है (उपला फला में, डामोर फले में, कल्याणपुर फले में) और दो माँ बाड़ी केंद्र (डामोर फला में और कल्याणपुर फले में) है। एक प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर फले है जिसमें 26 बच्चे हैं और अध्यापक मात्र एक है, इसी प्रकार एक प्राथमिक विद्यालय ऊपला फला में है उसमें 41 बच्चे और अध्यापक मात्र एक है। एक अन्य स्कूल वागेश्वरी विद्या निकेतन प्राथमिक विद्यालय (निजी) है उसमें बच्चों की संख्या 116 है और उसमे भी अध्यापकों की संख्या केवल 5 है1 गाँव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की संख्या 282 है और अध्यापकों की संख्या 8 है। शरम गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर ए.एन.एम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ है। गाँव का निकटतम सरकारी अस्पताल (PHC) मेवाड़ा में है जो गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। गंभीर मरीजों

हेतु 108 एंबुलेंस को फोन करते हैं और मरीज को बिछीवाड़ा या डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए मेवाड़ा जाना पड़ता हैं। गांव में पशु अस्पताल नहीं है इसलिए पशुओं को इलाज के लिए चिकित्सक को फोन करके बुलाते हैं।

गांव सभा की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - डूंगरपुर बिछीवाड़ा मुख्य सड़क से मेवाड़ा तक आते हैं वहाँ से मात्र एक पक्की सड़क गांव में आती है और गांव फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। मुख्य सड़क तक टेम्पों या जीप साधन है लेकिन वो ओवरलोड भरते हैं और घंटों इन्तजार के बाद चलते हैं। इसलिए लोग 5 से 7 किलोमीटर पैदल आते-जाते हैं। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - शरम गाँव में कृषि भूमि करीब 200 हेक्टेयर है और गांव का पूरा रकबा लगभग करीब 500 हैक्टेयर है। गांव की समतल जमीन केवल कुछ परिवारों के कब्जे में है और गांव में चरागाह नहीं है। पहले जो चरागाह भूमि थी वह वाका खांडा की सीमा में आ गयी है उस पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। 56-60% लोगों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़/पहाड़ी है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में एनीकट की संख्या करीब 10 है उनमें से सिर्फ एक ही एनीकट है काम आ रहा है बाकी सब एनीकट लीकेज है या मिट्टी से भर गए हैं। । गांव के खेतों में लगभग 350 ट्यूबवेल(निजी) है उनमें मोटर लगा रखी है जो बिजली से चलती है। शरम गांव में लगभग 50 कुंए और 35 हैंडपंप है। गांव में पांच छोटे तालाब है उपला फला में अरेंडिया तालाब, कल्याणपुर में कमदीवाला तालाब, कल्याणपुर नीचला फला में पाल सरोवर, उदयलाल तलावडी, मध्य (तराल) फला में एक वगडा वाला तालाब है। एक नहर कोड़ीयागुण बांध से आती है जिससे शरम के उपला फला में करीब दस परिवार को पानी मिलता है बाकी पूरे शरम गाँव को पानी नहीं मिलता है। छोटे-छोटे नालों की संख्या करीब 29 है। गांव में करीब 150 हेक्टेयर असिंचित खेत है। गांव के पूर्व में गांव का जंगल है जिस पर वन विभाग का कब्जा है। गांव के लोग इस पर अपना हक नहीं मानते हैं नक्शे में भी इसे गांव की सीमा के बाहर ही दर्शाया है। गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराईयों वाला पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती और पानी का स्वाद भी खराब हो जाता है। गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट नहीं है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति - मनरेगा में पुरुष और महिलाओं की भागीदारी करीब-करीब बराबर है। गांव में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 35 है जिनमें अधिकतर शिक्षा विभाग में है। गांव के लोग मक्की, तुअर, उड़द, ज्वार, कपास, चावल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, गेहूं, सौंफ और चना

आदि उगाते हैं। गाँव के लगभग 50-60 प्रतिशत लोगों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय उनको खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जिन लोगों के पास अपने सिंचाई के साधन है वह धान गेहूं सौंफ आदि भी पैदा करते हैं। सब के पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। मनरेगा में मजदूरी से आजीविका चलाना कठिन होने से गाँव के युवा राजस्थान के ही उदयपुर/डूंगरपुर अथवा महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
कृषि भूमि	गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। जमीन कंकड़ीली, चिकनी, बोल्डर, मिक्स मिट्टी है। पहाड़ियों पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। कुछ खेत की जमीन उपजाऊ भी है। खेतीबाड़ी करते हैं।	गांव की कुछ जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर खेत में डालना। तालाब की मिट्टी खेत में डालना और खेत को उपजाऊ बनाना। ट्रैक्टर से खेत में उलट-पुलट करना (लगभग 1 फीट गहराई की जमीन) उलट-पुलट करवाना। इस से उपजाऊ मिट्टी बनती है और उससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तालाब की गोल्डन मिट्टी से कृषि योग्य जमीन तैयार कर सकते हैं। गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।
चरागाह भूमि	गाँव में चारागाह नहीं है।	गाँव में चारागाह के लिए कुछ वन विभाग से जमीन ली जा सकती है।
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल एनिकट	गांव में जल का स्तर नीचे चला गया। शरम गांव में नदी नहीं है। गांव में एनीकट की संख्या 10 है। उनमें से एक एनिकट की हालत ठीक इसमें भी 6 महीने ही पानी टिकता है बाकी सब में पानी रिस कर निकल जाता है। गांव के खेतों में लगभग	जल का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें नाले में एनिकट पक्के और कच्चे चेक डैम बनाने और तालाब बनाना। गांव सभा का प्रस्ताव लेकर तालाब गहरा करवाना। हैंडपंप जल स्तर के अनुसार रेंज को बढ़ाकर प्रस्ताव पास करवाना। नए तालाब बांधना चाहिए। नाले के

	350 ट्यूबवेल है। शरम गांव में लगभग 50 कुंए और 35 हैंडपंप है। गांव में पांच छोटे तालाब है। एक नहर है कोड़ीयागुण बांध से आती है जिस से शरम के उपला फला में करीब दस परिवार को पानी मिलता है बाकी पूरी शरम गाँव को पानी नहीं मिलता है। और छोटे छोटे नालों की संख्या 29 है।नाले में वर्षा ऋतु में पानी रहता है दीपावली आने पर नाला सूखने लगता है। पांचों तालाब में भी वर्षा ऋतु में पानी भरा रहता है। दिसम्बर के बाद तालाब सूख जाते हैं। अधिकतर कुए सूखे पड़े हुए हैं करीब 5-10% कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है। उनका भी कोई उपयोग नहीं ले रहे हैं। कुछ कम ही लोग कुएं का उपयोग करते हैं। हैंड पंप चलते हैं मगर जल स्तर गहरा होने की वजह से आधे सूखे पड़े हुए हैं। बोरवेल पानी का स्तर भी कम हो गया है।	टूटे एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गांव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जंगल जंगल की जमीन करीब 500 हेक्टेयर है। पेड़ - सागवान, जांबुआ, धावड़ी, करमदी, बिल्ली, पीपल, बरघटी, नीम, खेजड़ी, खाखरा, हेबज, कमडा, मौरवा, कजरा, हींगवा, कंडू, बांस, सादुआ हडेली, महुआ गूगल, गोदला, करमेंजा, आमजी, हादोड़, रोयण, बेड़ा टाबेट, बिया, ओबिया, तेंदु	गांव में जंगल है उसमें वन विभाग और वन समिति का बराबर का कब्जा है। जंगल की हालत ठीक नहीं है कुछ पेड़ पौधे खत्म हो चुके और कुछ पेड बहुत कम संख्या में बचे हैं। जंगल से लघु वनोपज में तेंदू पत्ता, आंवला, खैर, बिल्व, घास और सीताफल के अतिरिक्त अन्य फल, गोंद और लकड़ी भी लाते हैं। तेंदूपत्ता तोड़ने का काम अप्रैल अंत या मई में शुरू होता है जो 20-25 दिन चलता है उस से भी गाँव वासियों को कुछ आय हो जाती है। जंगल में कुछ महुए के भी पेड़ है। कुछ गाँववासी महुए को छुट-पुट दूकानदारों को बेचते हैं (जो 15-30 रु. प्रति किलोग्राम बिकता है)और महुए के बीज का तेल भी निकलता है जो घरेलू उपयोग के काम आता है। वन से सूखी लकड़ी मिलती है जो जलाने के काम आती है। कुछ लोग घास भी जंगल से काट कर लाते है। जंगल से शहद भी लाते हैं। जिसे	सामुदायिक जंगल पर वनाधिकार दावा करके उसे गांव सभा के अधीन करना । जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाने से गाँव के लोगों को लघु वन उपज का से आय होगी। तेंदूपत्ता की मजदूरी का भाव बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को देंना। जंगल की रक्षा कर के गांव सभा में प्रस्ताव लेकर जंगल को बचाना। नए पेड़ पौधे लगाना। नया परकोटा बनाना।

	सिर्फ घर में ही काम में लेते हैं। ऐसे वृक्ष कई जंगल में मिलते जिनसे आयुर्वेदिक दवाई से प्राप्त होती है।	
मकान/ शौचालय	25% मकान बनने बाकी है। कुछ लोगों को शौचालय के भुगतान की किश्त नहीं मिली है ।	प्रस्ताव लेकर बनवाएंगे।
हायर सेकेंडरी स्कूल	शरम स्कूल भवन की स्थिति ठीक है। अध्यापकों की कमी है। परकोटा और गेट नहीं है। स्कूल में चपरासी नहीं है।	गांव सभा प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव पास करवाएंगे।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	स्कूल की स्थिति ठीक स्टाफ पूरा है। परकोटा नहीं है ।	गांव सभा में प्रस्ताव लेकर पास करवाएंगे
राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर शरम	स्कूल बन चुका है लेकिन शौचालय में पानी के सुविधा नहीं है ।	गांव सभा में हैन्डपम्प का प्रस्ताव लेकर पास करवाएंगे।
मां बाड़ी केंद्र	मां बाड़ी केंद्र मध्य फला शरम और कल्याणपुर फला शरम में है । उनकी स्थिति अच्छी है। बच्चों के पीने के पानी की समस्या है ।	बच्चों के पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु हैंडपंप की व्यवस्था करवाएंगे।
सड़क/ सी. सी. सड़क	कुछ सड़क की स्थिति ठीक है कहीं कहीं रास्ते की जरूरत है। सी. सी. सड़क कुछ टूट गई है	नई सड़क बनवाएंगे।
सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन ठीक है।	सामुदायिक भवन 5 बनवाने का प्रस्ताव लिया है – 1. मुकेश/शांतिलाल के घर के पास 2. होली मैदान पर 3. चामुंडा माताजी 4. फूलबाई माताजी 5. रामजी मंदिर के पास बनायेंगे।
स्वास्थ्य केंद्र	स्वास्थ्य केंद्र स्थिति ठीक है।	–
कृषि भवन	शरम में कृषि भवन नहीं है।	कृषि भवन बनाने का प्रस्ताव लेंगे
पोस्ट ऑफिस	पोस्ट ऑफिस वीरपुर में है	पोस्ट ऑफिस बनाने का प्रस्ताव लेंगे।
शिलालेख	शिलालेख की स्थिति ठीक है चबूतरा नहीं है।	शरम में प्रस्ताव लेकर चबूतरा बनवाएंगे।
श्मशान घाट	श्मशान घाट ठीक नहीं है।	गांव सभा में प्रस्ताव लेकर श्मशान घाट उपला फला शरम में श्मशान घाट पर परकोटा और सी.सी. सड़क निर्माण का प्रस्ताव लिया है ।

पंचायत भवन	पंचायत भवन बन रहा है वर्तमान में नीचला फला में सामुदायिक भवन में पंचायत चला रहे हैं।	जमीन का प्रस्ताव गांव सभा में लेकर पंचायत बनाएंगे
गुरुकुल प्राथमिक विद्यालय शरम	गुरुकुल स्कूल प्राथमिक विद्यालय कम शुल्क में अध्ययन करवाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्टाफ पूरा है। गुरुकुल स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों को संस्कार अच्छे देख कर पढ़ाई करवा रहे हैं। कम शुल्क में संस्कार दे रहें हैं।	शिकायत होगी तो स्कूल बंद करवाएंगे।
शौचालय	गाँव के लोगों के 75% शौचालय बने हैं। 25% शौचालय बाकी है।	गांव सभा में प्रस्ताव लेकर पास पूर्ण करवाएंगे।
नहर	नहर की हालत अच्छी नहीं है। कोड़ीयागुण बांध से नहर आती है जिस से शरम के उपला फला में 10 परिवार को पानी मिलता है। बाकी पूरी शरम गाँव को पानी नहीं मिलता है। कुछ लोग अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं है।	गांव सभा में प्रस्ताव लेकर के पूरा करवाएंगे। नहर को आगे बढ़ाना है उसका प्रस्ताव भेज दिया है। कुछ लोगों को अपनी जमीन देने के लिए राजी करेंगे ।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी – पशुपालन में लोग गाय, भैंस, बैल और बकरी पालते है1 करीब 15% लोगों के पास अच्छी और उपजाऊ कृषि भूमि होने से चारे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी लोगों को चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। केवल कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। कुछ लोगों के लिये बकरी अथवा भेड़ पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं। फिर जो एक दो पशु घर पर हैं उनको भी गर्मियों में चारे की कमी के कारण जैसे तैसे बाज़ार से चार खरीद कर खिलाना पड़ता है।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। मजदूरी भी 100रु. प्रति दिन से कम ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गांव में पेंशन लाभार्थियों की संख्या 370 है। वृद्धावस्था पेंशन महिलाएं 175 पुरुष 150 विधवा पेंशन 35 और एकलनारी 10 हैं। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 560 है प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 4 है। गांव में कोई जॉब कार्ड की संख्या 845 है ए.पी.एल. परिवार 245 और बी.पी.एल. परिवार 431 है। अंत्योदय योजना वाले राशन कार्ड 80 है। गांव में लगभग 300 लोगों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल गए हैं। कई लोगों को सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने

की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है। चीनी सिर्फ अन्योदय राशन कार्ड वालों को देते है वो भी दो तीन महीने में देते है । लोगों को मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

खनन -गांव में पहाड़िया है लेकिन खनन नहीं हो रहा है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	जमीनों उबड़-खाबड़ होने के कारण रास्ते की समस्या। बीच बीच में नाले और दर्रे होने के कारण भी समस्या । पंचायत और लोक निर्माण विभाग रास्ते बनाता है लेकिन उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं।	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	

3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	**तात्कालिक**	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**	

6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गर्मियों में गांव का भू-जल स्तर नीचे चला जाता है। गर्मी में 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है । गहराई के पानी का स्वाद भी खराब होता है और उसमें फ्लोराइड/आयरन होता है जिस से हड्डियों की बीमारियाँ होती है लोगों को चलते फिरने में परेशानी होती है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	
7	**नहर की समस्या**	**सार्वजनिक**	नहर की हालत अच्छी नहीं है। कोडीयागुण बांध से नहर आती है जिस से शरम के उपला फला में 10 परिवार को पानी मिलता है। बाकी पूरी शरम गाँव को पानी नहीं मिलता है। कुछ लोग अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं है।	मुख्य नहर सीधी निकालेंगें। कुछ लोग जो अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं है उनको राजी करेंगे। नहीं मानने की स्थिति में रामलाल गडात के घर के पास कांजी/पूना, सोमेश्वर/लालू के घर होता हुआ चामुंडा तालाब से आगे निचला श्मशान घाट होती हुई वाका खांडा तक नहर बनाने का कार्य करवाने का प्रस्ताव लिया है।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - गांव में 5 पक्की सड़कें हैं 5 सी.सी. सड़कें हैं	एक-दो आर.सी.सी. उबड़-खाबड़ है। कच्चे रास्तों को सी.सी.करना, पगदंडी को चौड़ा करना।	रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	मजबूत का कमेटियों गांव ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला	भू जल-स्तर 200 से 250 फीट नीचे होना ।	पुराने एनीकट और कुओं की मरम्मत और नए	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई

कुआं बोरवेल हैंड पंप	पानी का फ्लोराइड युक्त होना । एनिकट का रिसना । नहर के लिए लोगों का जमीन देने में आना कानी करना। कुओं की मरम्मत न होना।	एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। जंगल पर वन विभाग	गाँव में खाली पड़ी जंगल पर सामुदायिक वनाधिकार का दावा करना। जंगल को पुनर्जीवित कर लघु वन उपज प्राप्त करना। जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी। जंगल पर गाँव सभा का अधिकार होना।
भूमि	गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

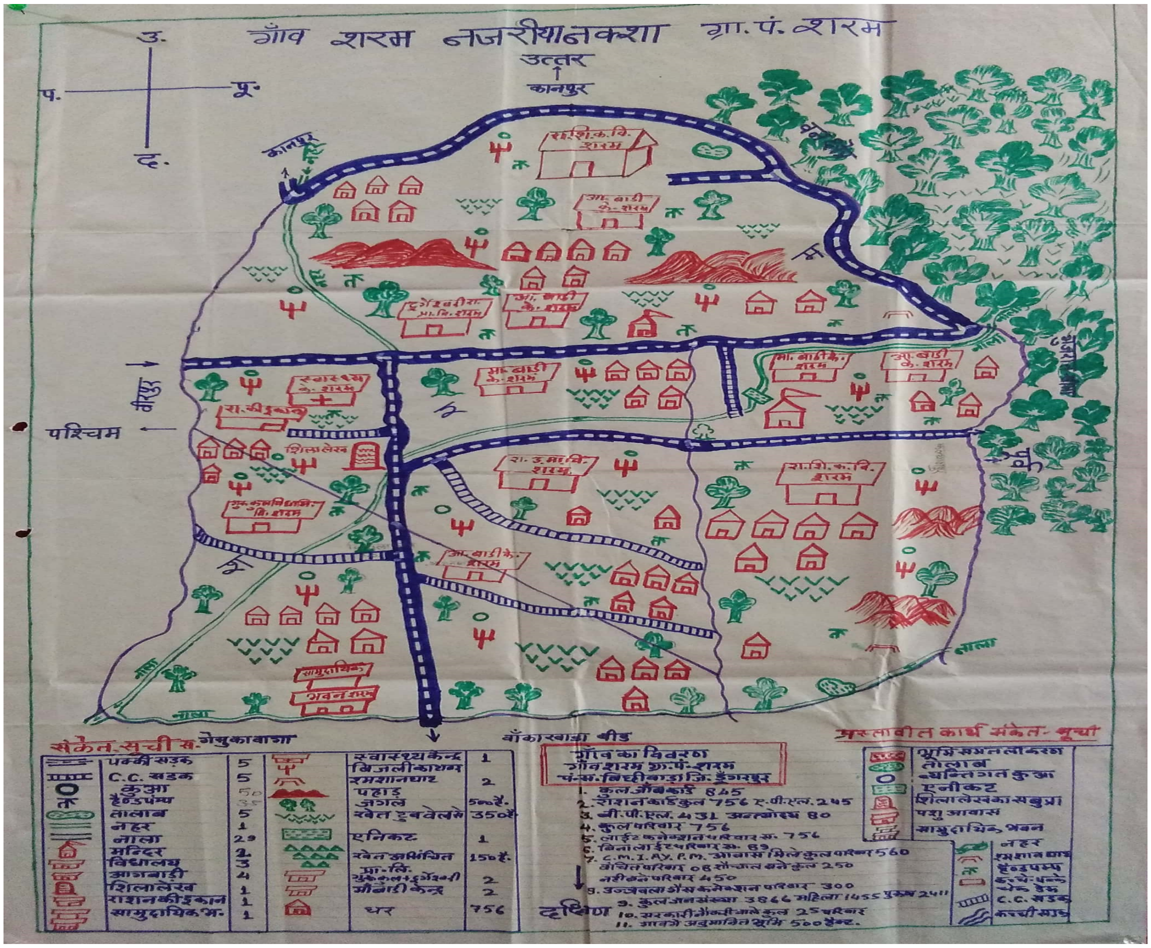

नजरिया नक्शा शरम

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्ताव सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	भूमि समतलीकरण एवं मेड़बंदी	51	51
2	खेत तलावड़ी	6	6
3	नहर निकालना - 1. एल.सी. नहर "0" पॉइंट से निचला फला सामुदायिक भवन तक नहर निकालना 2. एल.एम.सी. नहर "0" पॉइंट से सोना/मंजी के घर तक धोरा निकालना 3. एल.एम.सी. नहर "0" पॉइंट से भागचंद जी के घर होती हुई तालाब की पाल तक धोरा निर्माण 4. चमाडीया महुआ से (सब स्टेशन) से शरम "0" पॉइंट तक नहर की साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य	4	--

4	नए हैंडपंप	12	--
5.	पशु बाड़ा निर्माण	26	26
6	वृद्धावस्था पेंशन	11	11
	पालनहार योजना	5	5
	विकलांग पेंशन योजना चार	4	4
7	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु पंचायत मुख्यालय से 270 आवेदन भरे गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री आवास/बीपीएल से वंचित लाभार्थी भी शामिल किए गए हैं	270	270
8	कुए की मरम्मत	12	12
9	सड़क निर्माण 1. देवीलाल हलू के घर से लेना मन जी के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण 2. तालाब की पाल से रामजी हलू के घर होता हुआ सड़क निर्माण 3. दुर्गेश्वरी स्कूल से थावरा पिता रूपा के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण 4. हरतण/गौतम के घर से भूरा हकरा के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण 5. शंकर जीवा की एक दुकान से रमेश/चंदू के घर तक ग्रेवल सड़क निर्माण 6. बाबू/लखमा के घर से जीवा पुणा के घर तक ग्रेवल सड़क निर्माण 7. तोरण माता से लक्ष्मण रूपा के खेत में होता हुआ मुख्य सड़क तक सी.सी. सड़क निर्माण 8. रामा/मेघा के घर से सोमेश्वर के घर तक ग्रेवल सड़क निर्माण 9. सामुदायिक भवन से मगन पिता कचरा कोटेड के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण		
10	नए एनिकट बनाना - 1 सूखवीर/जीवा के खेत के पास 2. वेला/रामा के खेत के पास 3. बाबू/थावरा के घर के आगे 4. रामचंद्र/रूपा के कुएं के पास 5. खेमा/नाना के खेत में	5	--
11	पुराने एनिकट मरम्मत 1. रूपलाल लालू के खेत के पास 2. चामुंडा माताजी के पास 3. विश्राम/मौजा के घर के पास आगे	3	--
12	आर.ओ. प्लांट (हैंडपंप) 1. चामुंडा माताजी के पास 2. सार्वजनिक स्थान होली मैदान पर 3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शरम के अंदर 4. पंचायत मुख्यालय के अंदर	9	--

	5. शिक्षा कर्मी विद्यालय 6. नानू राम जी भराडा के घर के पास 7. सूरज/माधव के घर के पास 8. अमृत अर्जुन के खेत में कल्याणपुर 9. रामचंद्र पूजा के घर के पास		
13	नई आंगनवाड़ी केंद्र 1. पचोर फला कन्हैयालाल शांतिलाल के घर के पास 2. कचरू/दीता के घर के पास 3. चामुंडा माताजी के पास सेंगा/वाल जी के घर के पास 4. मां बाड़ी केंद्र नानू राम जी भराडा के घर के पास	4	--
14	शिलालेख का चबूतरा तालाब की पाल के पास बैठक व्यवस्था हेतु	1	गाँव के समस्त परिवार
15	विद्यालय के सम्बन्ध में - 1. परकोटा एवं दरवाजा - उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल के चारों तरफ 3 फीट ऊँचाई बढ़ाना और दरवाजा लगाना 2. शिक्षाकर्मी स्कूल का परकोटा बनाना 3. प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में विद्यालय का परकोटा/दरवाजा लगाना	3	--
16	श्मशान घाट निर्माण शरम उपला फला में श्मशान घाट पर परकोटा और सी.सी. सड़क निर्माण	1	--
17	मुख्य नहर निकालना रामलाल गडात के घर के पास कांजी/पूना, सोमेश्वर/लालू के के घर होता हुआ चामुंडा तालाब से आगे निचला श्मशान घाट होती हुई वाका खांडा तक नहर कार्य	1	--
18	तालाबों को गहरा करना - 1. कमडी तालाब गहरा एवं मरम्मत 2. अरंडी वाला तालाब 3. उदय तालाब 4. आमली वाला तालाब		
19	फलदार पेड़ लगाना	11	--
20	सामुदायिक भवन 6. मुकेश/शांतिलाल के घर के पास 7. होली मैदान पर 8. चामुंडा माताजी 9. फूलबाई माताजी 10. रामजी मंदिर के पास	5	--
21	सौर ऊर्जा	8	8
22	कच्चे-पक्के चेक डैम निर्माण कार्य	2	2

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया –

सूचना

दिनांक 25/4/2018

सेवा में
श्रीमति कोकिलादेवी खराडी
सरपंच ग्राम पंचायत शरम

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव शरम की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 25/11/2017 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 02/02/2018 को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर सूरजलाल डामोर

सरपंच
ग्राम पंचायत शरम
पं.स. बिछीवाड़ा

जीवा

अध्यक्ष सूरजलाल डामोर

सचिव जीवा डामोर

सूचना

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत शारम

विषयः- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित. क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिनको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम शारम

प्रतिलिपी.-

1.श्रीमान् विकास अधिकारी...........
2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी........
4. निजी रेकार्ड

क्रमांक 15 दि. 18

ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत शारम
पं.स. बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत शारम
पं.स. बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

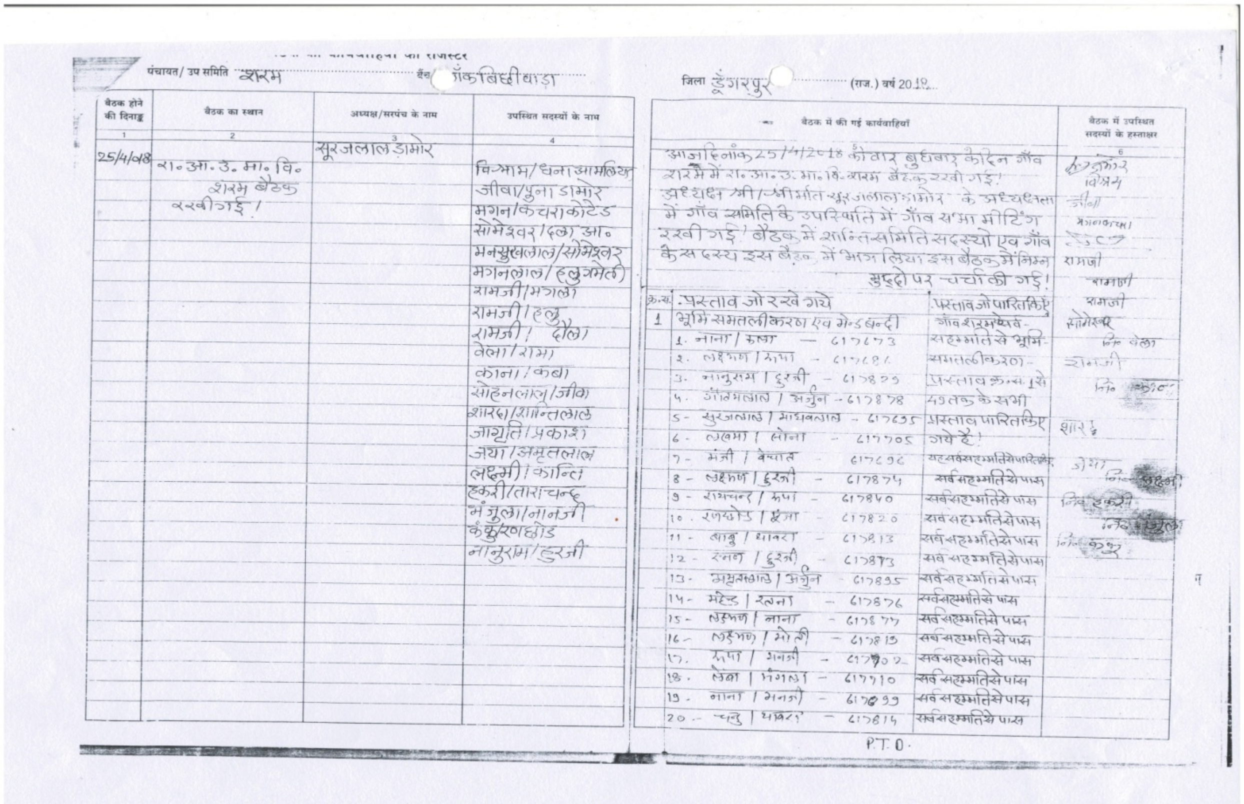
पंचायत/ उप समिति शरम ... गाँव बिछीवाड़ा ... जिला डूंगरपुर (राज.) वर्ष 2018

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
25/4/018	रा० आ० उ० मा० वि० शरम बैठक रखी गई।	सूरजलाल डामोर	[illegible]	आज दिनांक 25/4/2018 को वार बुधवार को दिन गाँव शरम में रा० आ० उ० मा० वि० शरम बैठक रखी गई। अध्यक्ष श्री/श्रीमती सूरजलाल डामोर के अध्यक्षता में गाँव समिति के उपस्थिति में गाँव सभा मीटिंग रखी गई। बैठक में शान्ति समिति सदस्यों एवं गाँव के सदस्य इस बैठक में भाग लिया इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।	[illegible]

प्रस्ताव प्रथम पेज

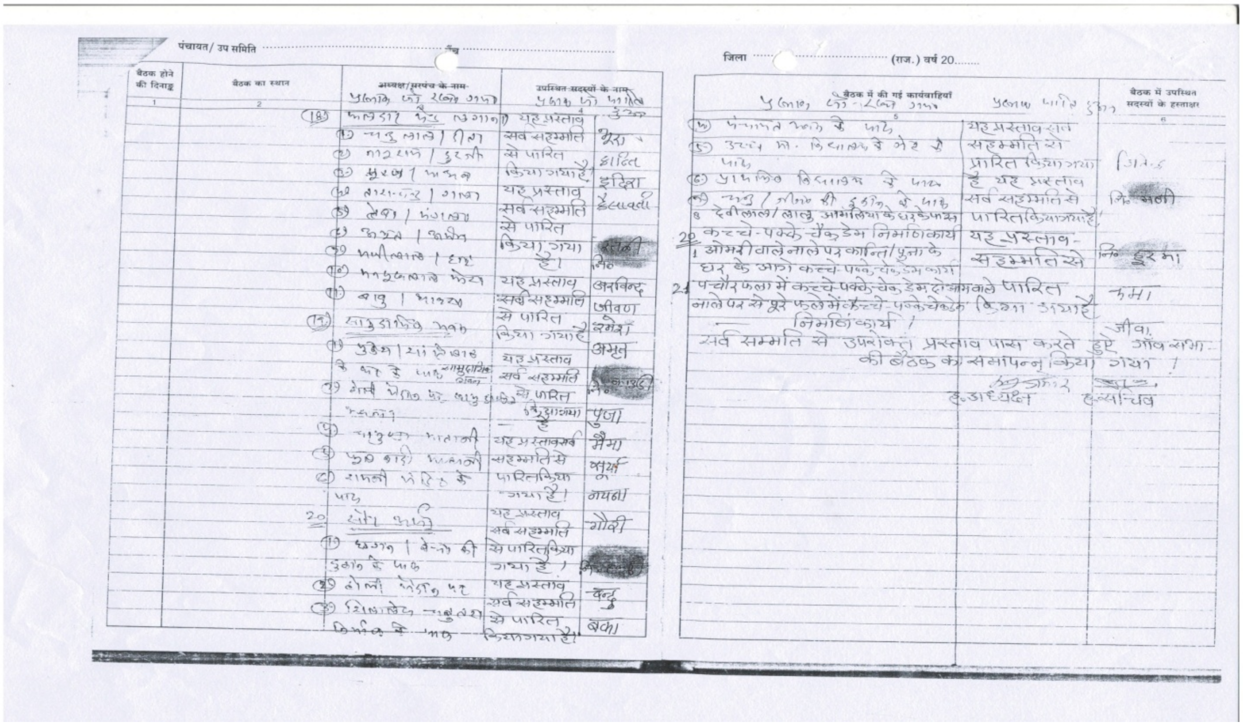
सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पास करते हुए गाँव सभा की बैठक का समापन किया गया।

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) –

	नाम	फोन न.
1.	सुरजलाल s/o माधवलाल डामोर -	9712508867
2.	वेला अहारी s/o रामा अहारी -	9712508867
3.	जीवा डामोर s/o पूना डामोर –	8238032276
4.	नानूराम/हूरजी भराडा	